



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/अवैध प्लाटिंग/विकास कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 1024 / वाद सं० एल-0004 / एस-05 / 2024

दिनांक: 16/5/2024

श्री रामजग, सुरेश, बाबूराम आदि,
रांझावाला, रायपुर, शक्ति विहार कॉलोनी,
वार्ड नं०-100, नत्थुवाला, देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 05 से 06 बीघा भूमि में डिमार्केशन करते हुए अवैध प्लाटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० एल-0004 / एस-05 / 2024 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 15.04.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 22.04.2024 को तामिल कराया गया।

उक्त नोटिस के माध्यम से विपक्षी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 05 से 06 बीघा भूमि में डिमार्केशन करते हुए अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगत वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25.04.2024 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहें। विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 433 दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से ध्वस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आगामी तिथि दिनांक 09.05.2024 नियत की गयी। उक्त नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहें। विपक्षी द्वारा अनाधिकृत भू-विन्यास के सम्बन्ध में कोई प्रतिउत्तर/दस्तावेज/तलपट स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में विपक्षी को कोई रुचि नहीं है, एवं विपक्षी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः समस्त चालानशुदा/अवैध प्लाटिंग में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लाटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त सम्पूर्ण चालानशुदा अनाधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्री रामजग, सुरेश, बाबूराम आदि, रांझावाला, रायपुर, शक्ति विहार कॉलोनी, वार्ड नं०-100, नत्थुवाला, देहरादून द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 05 से 06 बीघा भूमि में डिमार्केशन करते हुए अवैध प्लाटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। उक्त समस्त अवैध/अनाधिकृत प्लाटिंग को दिनांक 22-05-24 को ध्वस्त किया जाना है। जिस पर होने वाला सम्पूर्ण हर्जा-खर्चा आपसे भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये। तदनुसार सूचित हो।

216

पीठासीन अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।